छत्तीसगढ़ विधान सभा

षष्ठम्

फरवरी-मार्च, 2025 सत्र

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिये अनुदानों की मांगों पर

कटौती प्रस्ताव

भाग - एक

मांग संख्या – 20, 22, 24, 29, 67, 69, 76, 81,
मांग संख्या – 10, 17, 23, 45, 47, 57, 75, 28 एवं
मांग संख्या – 39 से संबंधित

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय, रायपुर

वित्तीय वर्ष 2025–2026 के लिये अनुदान की मांगों पर कटौती प्रस्ताव भाग – एक में सम्मिलित मांग संख्याओं पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों के कटौती प्रस्तावों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :–

1. डॉ. चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष
2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य
3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य
4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य
5. श्री भोलाराम साहू, सदस्य
6. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य
7. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य
8. श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य
9. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य
10. श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य
11. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य
12. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य
13. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य
14. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य
15. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य
16. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य
17. श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य
18. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य
19. श्री संदीप साहू, सदस्य
20. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य
21. श्री इंद्र साव, सदस्य
22. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य
23. श्री रामकुमार यादव, सदस्य
24. श्री फूलसिंह राठिया, सदस्य
25. श्री ओंकार साहू, सदस्य
26. श्री जनक ध्रुव, सदस्य

क्र.	मा. मंत्री का नाम	मांग संख्या	विवरण	निर्धारित समय
1.	**श्री अरूण साव**	20	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2 घंटे 30 मिनट
		22	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय	
		24	लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल	
		29	न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन	
		67	लोक निर्माण कार्य – भवन	
		69	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण	
		76	लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		81	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता	
2.	**श्री केदार कश्यप**	10	वन	2 घंटे
		17	सहकारिता	
		23	जल संसाधन विभाग	
		45	लघु सिंचाई निर्माण कार्य	
		47	कौशल विकास	
		57	जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		75	जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं	
		28	राज्य विधान मण्डल	
3.	**श्री दयालदास बघेल**	39	खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय	2 घंटे

इस संकलन में छत्तीसगढ़ विधान सभा के फरवरी–मार्च, 2025 सत्र में प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2025–2026 के आय–व्ययक के संबंध में उपर्युक्त मांग संख्याओं से संबंधित माननीय सदस्यों से प्राप्त कटौती प्रस्तावों की ग्राह्य सूचनाओं को सम्मिलित किया गया है, कटौती प्रस्तावों में आंशिक रूप में कुछ आवश्यक सुधार किये गये है।

दिनेश शर्मा
सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

मांग संख्या– 20
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी

मतदेय राशि — रूपये 27,93,60,73,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 34

1. डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश उपलब्ध सोलर पंपों एवं प्रचलित पेयजल योजनाओं के संधारण/संचालन की कोई कार्ययोजना नहीं है।

(2) प्रदेश में दूषित भू–जल से प्रभावित गांवों में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत स्वच्छ पेयजल आपूर्ति योजना का प्रावधान नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नगरीय क्षेत्रों में अवैध कब्जा हटाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के निर्माण हेतु क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जिला बालोद अंतर्गत जल–जीवन मिशन अंतर्गत घर–घर शुद्ध पेयजल पहुंचाने हेतु योजना के उचित क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में गिरते जल स्तर को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) जल–जीवन–मिशन में व्यापक भ्रष्टाचार रोकने कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) बालोद जिला के डौण्डी क्षेत्र में लाल पानी युक्त पेयजल पी रही जनता को शुद्ध पेयजल पहुंचाने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

शुद्ध पेयजल योजना के लिए वर्तमान समस्या के निराकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट निवारण हेतु किसी योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र में शुद्ध पेयजल करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के निर्माण हेतु क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

6. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के अन्तर्गत स्त्रोत विहिन गांव में जल की व्यवस्था एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

7. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में प्रावधानित मद के बाद भी इसका लाभ आम नागरिकों तक नहीं पहुंचने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के महासमुन्द जिला अन्तर्गत नगर पालिका बागबहरा हेतु राशि की स्वीकृति का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) प्रदेश में इस योजना हेतु राशि प्रावधानित है किन्तु इसका फायदा आम नागरिकों को नहीं हो पा रहा है, एवं खल्लारी विधान सभा का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

मस्तुरी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट निवारण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्री जनक ध्रुव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट निवारण हेतु किसी योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जल जीवन मिशन ग्रामीण योजना के निर्माण हेतु क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

10. **श्री ओंकार साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विधान सभा धमतरी अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के अधूरे निर्माण कार्य के विषय का कोई प्रावधान नहीं है।

11. **श्री इंद्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

जल जीवन मिशन के तहत जल आपूर्ति व्यवस्था शीघ्र किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. **श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विधान सभा जांजगीर चाम्पा अंतर्गत जल जीवन मिशन योजना के अधूरे निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्रीमती सवित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जल जीवन मिशन योजना के निर्माण से क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

14. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगर पालिका अकलतरा में जल संकट के निवारण कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 22

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय निकाय

मतदेय राशि रूपये 24,38,13,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 18

1. **डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के नगरीय क्षेत्र में निकलने वाले ठोस एवं तरल अपशिष्ट के डिस्पोजल की समुचित एवं कारगर व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) आर्थिक रूप से कमजोर निकायों के लिये अर्थिक सहायता का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) नगरीय क्षेत्रों में संचालित शुलभ शौचालयों के निर्माण एवं रख–रखाव का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) नगरीय क्षेत्रों में पूर्व से संचालित जल प्रदान योजना के संरक्षण/संवर्धन का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) नगरीय क्षेत्रों में संचालित शुलभ शौचालयों के निर्माण एवं रख–रखाव का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) नगरीय क्षेत्रों में पौनी पसारी समृद्धि योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) आर्थिक रूप से कमजोर निकायों के लिये आर्थिक सहायता का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) नगरीय क्षेत्रों में भवनों के नियमितिकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

   (6) नगरीय क्षेत्रों में अवैध कब्जों को हटाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (7) प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना मूलक कार्यों का कोई उल्लेख नहीं है।

   (8) प्रदेश के नगरीय निकायों में नियमितिकरण के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (9) नगरीय निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (10) प्रदेश में ज्वेलरी पार्क की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) नगर पंचायत नगरी जिला धमतरी के गुढ़ियारी तालाब का सौंदर्यीकरण एवं विद्युतीकरण कार्य लागत 50.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) नगर पंचायत नगरी जिला धमतरी के मुख्य मार्ग कर्राघाटी से बजरंग चौक तक एवं बजरंग चौक से गुढ़ियारी तालाब तक डिवाईडर व विद्युतीकरण कार्य लागत 350.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) नगर पंचायत नगरी जिला धमतरी के बजरंग चौक से छिपली चौक तक डिवाईडर व विद्युतीकरण कार्य लागत 700.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) नगर पंचायत नगरी जिला धमतरी में डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्व सुविधायुक्त मंगल भवन का निर्माण कार्य लागत 75.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) नगर पंचायत नगरी जिला धमतरी के बस स्टैण्ड में यात्री प्रतिक्षालय का निर्माण कार्य लागत 50.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) नगर पंचायत मगरलोड जिला धमतरी में डॉ. भीमराव अम्बेडकर सर्व सुविधायुक्त मंगल भवन का निर्माण लागत 75.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) नगर पंचायत नगरी जिला धमतरी के हाई स्कूल मैदान सीटिंग में रोड निर्माण कार्य लागत 20.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है

(8) नगर पंचायत मगरलोड जिला धमतरी के अण्डा तालाब में सौंदर्यीकरण कार्य लागत 30.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) नगर पंचायत मगरलोड जिला धमतरी के भैंसमुडी में मुक्तिधाम का निर्माण लागत 20.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नव निर्मित पामगढ़ नगर पंचायत का कार्यालय भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नगरीय निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्री ओंकार साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नगर पंचायत आमदी एवं नगर निगम धमतरी में मुख्य मार्ग में नाली निर्माण एवं मरम्मत का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नगर पालिका परिषद जांजगीर नैला एवं चाम्पा के मुख्य मार्गों में नाली निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

.

(1) नगरीय क्षेत्रों में पौनी–पसारी समृद्धि योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) क्षेत्र में संचालित शुलभ शौचालयों के रख–रखाव एवं साफ–सफाई का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) नगरीय निकाय के कर्मचारियों को समय पर वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

वित्तीय बजट 2025–2026 मे ग्रामीण स्वच्छता/शहरी नगरीय स्वच्छता अभियान का कोई उल्लेख नहीं है।

11. **श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

नगर पंचायत नरियरा में अघोसंरचना विकास हेतु नवीन कार्ययोजनाओं की स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 24

लोक निर्माण कार्य – सड़कें और पुल

मतदेय राशि रूपये 46,64,08,56,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

1. **डॉ चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में गुणवत्ता युक्त सड़कों के निर्माण की कोई विशेष तकनीकी कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश की जर्जर सड़कों के मजबूतीकरण, पुनः निर्माण की कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में गुणवत्ताविहीन सड़कों के निर्माण पर रोक लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में गुणवत्ता युक्त सड़क निर्माण कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में निर्माणाधीन सड़कों एवं पुलों को पूर्ण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के दाऊटोला से मानिकपुर–दौहान से चिरचडीकला मार्ग लं. 3 कि.मी. सड़क का पुलिया सहित निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के कामड़ी से पथराटोला मार्ग लम्बाई 3 कि.मी. का नवीन सड़क निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(3) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम तेन्दूटोला से धुपानाल मार्ग लंबाई 4 कि.मी. का सड़क निर्माण कार्य पुल पुलिया सहित का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के भोलापुर से पाण्डेटोला मार्ग लंबाई 2 कि.मी. का सदृढ़ीकरण कार्य पुल–पुलिया सहित का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के चिरचाकीकला से दैहान मार्ग लंबाई 5 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य पुल–पुलिया सहित का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के कुमरदा–गैराटोला कल्लूबंजारी मार्ग लंबाई 22 कि.मी. चौड़ीकरण, मजबूतीकरण सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत देवरी–मटरूम–खुज्जी मुख्य जिला मार्ग 11 कि.मी. चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य पुल–पुलिया सहित निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के खुज्जी–पांगड़ी–मरकाकाजा मार्ग लंबाई 5 कि.मी. का मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के गुण्डरदेही–उमरवाही गोडलवाही–मटिया–कामड़ी मार्ग लंबाई 26.50 कि.मी. का पक्की सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के परेवाडीह से उमरवाही मार्ग लंबाई 3 कि.मी. सड़क निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

महासमुन्द जिला के खल्लारी विधान सभा अन्तर्गत गडबेड से बरतुंगा नाला पर पुल पुलिया निर्माण हेतु राशि स्वीकृति का उल्लेख नहीं है।

6. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) सिहावा विधान सभा क्षेत्र विकासखण्ड नगरी के अरसीकन्हार–रिसगांव–जोरातराई मार्ग पर सोंढूर नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण लागत रूपये 575.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) सिहावा विधान सभा विकासखण्ड मगरलोड के कमारपारा से वडेपारा मार्ग पर बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल–पुलिया निर्माण लागत रूपये 745.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) सिहावा विधान सभा विकासखण्ड नगरी के लखनपुरी–बटकनमर्री मार्ग पर बालका नदी पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण लागत रूपये 350.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) सिहावा विधान सभा क्षेत्र विकासखण्ड नगरी के सिहावा से बोराई मार्ग पर महानदी पर पुल–निर्माण कार्य लागत रूपये 775.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) सिहावा विधान सभा क्षेत्र विकासखण्ड नगरी के ग्राम खरता से भैंसमुड़ा के बीच सोढ़र नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य लागत रूपये 965.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) सिहावा विधान सभा क्षेत्र विकासखण्ड नगरी के ग्राम पंचायत फरसिया महामाया मंदिर से चन्दन बाहरा प्रमुख मार्ग एवं सोढूर नदी में पुलिया निर्माण लागत रूपये 1225.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) सिहावा विधान सभा क्षेत्र विकासखण्ड नगरी के खैरभर्री करैहा मार्ग आमानाला में उच्च स्तरीय पुलिया निर्माण लागत रूपये 420.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) सिहावा विधान सभा क्षेत्र विकासखण्ड नगरी के नगरी–जबर्रा मार्ग पर काजल (कलस) नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण लागत रूपये 910.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) जिला धमतरी के मगरलोड विकासखण्ड के बडेमुड़ा नाला में मध्यम पुल निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(10) जिला धमतरी के मगरलोड में हेलीपेड का निर्माण लागत 50.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) जिला धमतरी के बोरसी–दोनर मार्ग का निर्माण लंबाई 2.00 कि.मी. लागत 300.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(12) जिला धमतरी के छोटी करेली से लगे मार्ग निर्माण कार्य लंबाई 1.50 कि.मी. का कोई उल्लेख नहीं है।

(13) जिला धमतरी के परसाबूडा–राजाडेरा–पठार मार्ग का निर्माण कार्य लंबाई 7.10 कि.मी. लागत 1100.00 लाख रूपये का कोई उल्लेख नहीं है।

(14) जिला धमतरी के अमलीडिह–खिसोरा मार्ग लंबाई 10.60 कि.मी. मार्ग का निर्माण लागत रूपये 1600.00 लाख का कोई उल्लेख नही हैं।

(15) जिला धमतरी के सिंगपुर–मोहेरा–सरईभदर मार्ग लंबाई 30.00 कि.मी. का निर्माण लागत रूपये 4500.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(16) जिला धमतरी के दुधावा नगरी बासीन मार्ग (राज्य मार्ग क्रमांक 6) 3 मीटर चौड़ी सड़क के कि. मी. 66/2 से 91/4 पुल पुलिया सहित का चौड़ीकरण मजबूतीकरण कार्य लंबाई 25.20 कि. मी. में भू–अर्जन वन व्याप्त एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(17) जिला धमतरी के सांकरा जैनपुरी मार्ग (मु.जि.मा.) पुल–पुलिया सहित लंबाई 30.00 कि.मी. का टू लेन मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य लागत रूपये 3000.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

(18) नगर पंचायत जिला धमतरी के नगरी पुरानी बस्ती से मोदे पहुंच मार्ग में पुलिया निर्माण कार्य लागत 70.00 लाख का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) माकड़ी (कांकेर) से भानुप्रतापपुर मार्ग के सुदृणीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) भानुप्रतापपुर विधान सभा अन्तर्गत ग्राम पुरी से कनेचूर होते हुये भानबेड़ा सड़क मार्ग का उल्लेख नहीं है।

(3) संबलपुर (भानुप्रतापपुर) से दुर्गुकोंदल मार्ग के चौड़ीकरण व मजबूतीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जिला बालोद के गुण्डरदेही से अर्जुन्दा–चीरचार मार्ग के मजबूतीकरण, सुदृदीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) ठाकुरकुदा से मटिया पहुंच मार्ग सड़क चौड़ीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मस्तुरी विधान सभा अंतर्गत, दर्रीघाट, लखर कोनी, ईहवा, पाली, ससरोनी, बकरकुदा, महिपा मार्ग सड़क चौड़ीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) खारंग मुख्य नहर में मस्तुरी तहसील ऑफिस के पीछे पुल निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) मस्तुरी विधान सभा अंतर्गत चकरबेढ़ा से गिधपुरी (व्हाया डगनिया, कुटेला खपरी) तक सड़क चौड़ीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धरमजयगढ़ विधान सभा क्षेत्र के बजट में सम्मिलित कार्यो का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) बजट में सम्मिलित कार्यो का स्वीकृति का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

11. श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के जर्जर सड़कों के मजबूतीकरण पुनर्निर्माण की कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़क विहिन ग्रामों में सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत डोंगाकोहराउद बायपास मार्ग के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत बहने वाले नालों में स्टापडेम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामीण किसानों के खेतों तक पहुंच मार्ग निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत शिवरीनारायण से खैरताल मार्ग का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत डोंगाकोहराउद पुरानी बस्ती मुख्य सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत जर्जर सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

13. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

तिलई से भुडपार सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

14. श्री फूल सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बजट में सम्मिलित कार्यों का स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) रामपुर विधान सभा क्षेत्र के बजट में सम्मिलित कार्यो का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

(3) रामपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत कुदमुरा से श्याम रोड तक चौड़ीकरण एवं पक्कीकरण हेतु स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

15. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधान सभा क्षेत्र कसडोल के अंतर्गत कोदवा से गाड़ाभाटा मार्ग लंबाई 15.00 कि.मी. निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत भरूवाडीह से मलपुरी डोंगर देवी पहुंच मार्ग निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) विधान सभा कसडोल के अंतर्गत महानदी अमेठी घाट में उच्च स्तरीय सेतु निर्माण सेतु निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) कसडोल विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सैहाबेल्हा मार्ग लंबाई 2.40 कि.मी. पुल–पुलिया सहित निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत के वार्डो के मध्यम स्तर के पुलिया, नाली एवं सड़क सुदिृढ़ीकरण/मरम्मत/निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

16. श्री इंद्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के सड़क पहुंच विहीन गांवों, ग्राम पंचायतों को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) कोसमंदा से अकलतरा पहुंच मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी. सड़क निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) कोलिहा दरचुरा हथबंद मार्ग पर पुल निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) सोनाडीह–सिहासनपाठ मार्ग पर जमुनैया नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) तुलसी से तोरा मार्ग पर चकलाघाट नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) कुकदा से टोपा मार्ग पर जमुनैया नाला पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

17. श्री इन्द्रशाह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विकासखण्ड मानपुर के नेवरगांव–बोडेगांव–मर्दगोटा मार्ग निर्माण लंबाई 06 कि.मी. पुल–पुलिया सहित बजट 2025–2026 में शामिल का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जिला मोहला मानपुर, अम्बागढ़ चौकी के मानपुर–शेरपार–घोठिया मार्ग लंबाई 10 कि. मी. पुल–पुलिया सहित बजट 2025–2026 में शामिल का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) विकासखण्ड अंबागढ़ चौकी के बागनारा से भुरभुसी होते हुये घावड़ेटोला तक लंबाई 06 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य बजट में शामिल का कोई उल्लेख नहीं है।

18. श्री ओंकार साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

19. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) जांजगीर चांपा जिला के नैला रेल्वे स्टेशन के यार्ड में ओव्हर ब्रिज निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जांजगीर चांपा विधान सभा अंतर्गत सड़कों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) जांजगीर चांपा विधान सभा क्षेत्र के रोगदा बिरगहनी मार्ग के मजबूतीकरण एवं चौड़ीकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

20. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

सरवानी (परसापाली) से ठठी तक मार्ग कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

21. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ हेतु वार्ड नं. 02 एवं वार्ड नं. 16 के मध्य पुलिया निर्माण एवं किसी प्रकार की अधोसंरचना विकास का कोई उल्लेख नहीं है।

22. श्री इन्द्र शाह मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विकासखण्ड अंबागढ़ चौकी के बागनारा से भुरभुसी होते हुए घावड़ेटोला तक लंबाई 6 कि.मी. मार्ग निर्माण कार्य बजट 2025–2026 में उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 29

न्याय प्रशासन एवं निर्वाचन

मतदेय राशि रूपये 8,94,45,20,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 21

1. **डॉ. चरणदास मंहत, नेता प्रतिपक्ष, एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) अनेक नवीन तहसील/उप तहसील में नोटरी के पद स्वीकृत नहीं है, इसके लिए बजट का कोई प्रावधान नहीं है।

    (2) छ.ग. समाज के कमजोर वर्गो के लिए विविध सहायता तथा विविध सलाह अधिनियम 1976 के क्रियान्वयन बजट में पर्याप्त उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    वकीलों के लिये विशेष सुरक्षा कानून का कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    वकीलों के लिये विशेष सुरक्षा कानून का कोई प्रावधान नहीं है।

4. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    मस्तुरी विधान सभा अंतर्गत मुख्यालय मस्तुरी में व्यवहार न्यायालय की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती संगीता सिन्हा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह हेतु पर्याप्त बजट व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    वकीलों की सुरक्षा, मानदेय में बढ़ोत्तरी एवं वकील सुरक्षा कानून बनाने का उल्लेख नहीं है।

7. **श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    नव निर्मित तहसीलों में नोटरी के पद स्वीकृत किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    वकीलों की सुरक्षा, मानदेय एवं वकील सुरक्षा कानून के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 67

लोक निर्माण कार्य – भवन

मतदेय राशि रूपये 21,01,99,36,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

1. **श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) जिला–बालोद अंतर्गत डौण्डीलोहारा में तहसील कार्यालय नवीन भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जिला–बालोद अंतर्गत डौण्डीलोहारा में नवीन अनुविभागीय अधिकारी (राज.) कार्यालय भवन निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) जिला–बालोद अंतर्गत विकासखण्ड डौण्डीलोहारा एवं डौण्डी में उन्नयन स्कूलों के भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

विधायक विश्राम गृह निर्माण करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में नवीन जिलों में जी.ए.डी. क्वार्टर निर्माण के अलावा अन्य जिला मुख्यालय के क्वार्टर के लिए किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है।

(2) प्रदेश में वित्त विभाग के कार्यालयों के लिए बजट का प्रावधान किया गया है किन्तु अन्य विभाग के कार्यालय हेतु इसके अनुरूप प्रावधान नहीं किया गया।

4. **श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) नगर पंचायत भानुप्रतापपुर में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) भानुप्रतापपुर विधान सभा अन्तर्गत जर्जर प्राथमिक एवं उप–स्वास्थ्य केन्द्र भवनों के निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

5. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नवीन मॉडल तहसील भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) गुण्डरदेही विधान सभा अंतर्गत तहसील अर्जुन्दा में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर अर्जुन्दा एवं देवरी (डौण्डीलोहारा) में नवीन विश्राम गृह निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) व्यवहार न्यायालय गुण्डरदेही, जिला–बालोद हेतु नवीन कार्यालय भवन, कर्मचारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्तियों का कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्रीमती शेष राज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नगर पंचायत राहौद में सामुदायिक भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल कोसाला में भवन निर्माण का उल्लेख नहीं है।

(3) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत धार्मिक स्थल खरौद में दर्शनार्थियों हेतु विश्राम भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत पर्यटन स्थल शिवरीनारायण में सर्वसुविधायुक्त यात्री भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत शासकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल लोहर्सी में हायर सेकेण्डरी भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधान सभा जांजगीर–चांपा में शासकीय कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

8. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) बम्हनीडीह नवीन विश्राम गृह भवन निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) जैजैपुर में नवीन विश्राम गृह भवन निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) जनपद पंचायत बम्हनीडीह में कार्यालय भवन कार्य का उल्लेख नहीं है।

9. श्री ओंकार साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

विधान सभा क्षेत्र में नवीन स्कूल भवन निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

10. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पॉलिटेक्निक कॉलेज भाटापारा का बाउंड्रीवाल एवं आवासीय भवनों का निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) आई.टी.आई. कॉलेज बाउण्ड्रीवाल एंव आवासीय भवनों के निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

(3) लॉ कॉलेज का बाउण्ड्रीवाल, कन्या छात्रावास एवं आवासीय भवन निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 69

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग–नगरीय कल्याण

मतदेय राशि रूपये 17,15,44,46,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 18

1. **श्री ब्यास कश्यप, : एक रूपये की कमी की जावे.**

   नगर पालिका क्षेत्र जांजगीर नैला एवं चांपा में मुक्तिधाम योजना/सरोवर धरोहर योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री ओंकार साहू: एक रूपये की कमी की जावे.**

   नगर पंचायत आमदी में सरोवर धरोहर योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 76

लोक निर्माण विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि रूपये 69,00,20,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 19

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुये है ।

मांग संख्या– 81

नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता

मतदेय राशि रूपये 31,23,45,83,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 18

1. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   महासमुन्द जिला के विकासखण्ड बागबाहरा हेतु राशि स्वीकृत नहीं किया गया है।

2. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में निकायों की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करने की कार्य योजना का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 10

वन

मतदेय राशि रूपये 25,41,28,60,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –10

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(2) लघु वनोपज संघ को अनुदान हेतु बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

(3) प्रदेश में वन उत्पादों के प्रसंस्करण यूनिट निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

(4) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को बोनस राशि दिये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) वन समितियों के सशक्तिकरण हेतु वित्तीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

(7) वनों की अवैध कटाई के नियंत्रण हेतु कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश में राष्ट्रीय महत्व के वन्य प्राणियों एवं लुप्त प्रायः हो रहे वन्य प्राणियों के संरक्षण की कोई कार्ययोजना नहीं है।

(9) प्रदेश में तेन्दूपत्ता के अतिरिक्त अन्य वन उत्पादों के क्रय–विक्रय की कोई कार्ययोजना नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में हो रही वनों की अवैध कटाई रोकने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

(2) वन्य जीवों के संरक्षण एवं संवर्धन का बजट में कोई प्रावधान नहीं है।

3. **श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के वनों की अवैध कटाई को रोकने के लिए कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के वनों में आगजनी की रोकथाम का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में हाथियों से नुकसान पर 10 लाख रूपये की राशि का मुआवजा दिये जाने का उल्लेख नहीं है।

(4) जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोकने का उल्लेख नहीं है।

(5) वनों के समुचित संवर्धन एवं संरक्षण हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

(6) वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन का उल्लेख नहीं है।

5. श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम गढ़रासिल्ली का वन विश्रामगृह अति जर्जर होने पर नवीन विश्रामगृह की आवश्यकता, है निर्माण का उल्लेख नहीं है।

6. श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में प्रावधानित राशि में वनों को संरक्षित करने का प्रावधान वास्तविक स्थिति में कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा है।

7. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम के बेहतर क्रियान्वयन हेतु प्रभावकारी एवं स्पष्ट नीति का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश के वन्य जीवों के अवैध शिकार को प्रतिबंधित करने हेतु कोई स्पष्ट योजना का उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में वन समितियों के सशक्तिकरण हेतु वित्तीय सहायता का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश में वन्य एवं वन्य उत्पादों के प्रसंस्करण यूनिट निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है।

8. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

कसडोल विधानसभा योजनांतर्गत वन सुधार एवं संरक्षण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) वन क्षेत्र दल्हा पहाड़ के सौंदर्यीकरण का प्रावधान नहीं है।

(2) वनों की अवैध कटाई (हसदेव जंगल) को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) इंदिरा उद्यान का सौंदर्यीकरण करने का कोई प्रावधान नहीं है।

10. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में वनों की अवैध कटाई के नियंत्रण हेतु कोई कार्ययोजना नहीं है।

11. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश की वनों की हो रही अवैध कटाई की रोकथाम किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) जंगली जानवरों के अवैध शिकार को रोकने कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री लालजीत सिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की नियमितिकरण का उल्लेख नहीं है।

13. श्री फूलसिंह राठिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के नियमितिकरण का कोई उल्लेख नहीं है।

14. श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) तेन्दूपत्ता संग्राहकों को 4500 रूपये बोनस राशि दिये जाने की कोई योजना नहीं है।

(2) वनों की अवैध कटाई की रोकथाम हेतु कोई योजना का उल्लेख नहीं है।

15. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

ग्राम गातापार वन मण्डल खैरागढ़ में विश्राम गृह या निरीक्षण कुटीर निर्माण का उल्लेख नहीं है।

16. श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

छत्तीसगढ़ सर्टीफिकेशन सोसायटी अनुदान योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सर्टीफिकेशन सोसायटी अनुदान मद में प्रावधान रखा गया है किन्तु कसडोल वि.स. क्षेत्र के लिए कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 17

सहकारिता

मतदेय राशि रूपये 3,42,70,22,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –15

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों तथा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में भारी आर्थिक अनियमितताएं व्याप्त हैं, इसके लिये प्रावधान नहीं है।

    (2) प्रदेश की 2058 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के प्रबंधक के पद पर नियुक्त करने के लिए संवर्ग प्रबंधकों का अभाव है, केवल 5 प्रतिशत कर्मचारी उपलब्ध हैं, शेष 95 प्रतिशत को अक्षम व्यक्ति चला रहे हैं, इसके लिये प्रावधान नहीं है।

    (3) प्रदेश में पंजीकृत सहकारी समितियों की आर्थिक उन्नति का उल्लेख नहीं है।

    (4) प्रदेश में पंजीकृत सहकारी समितियों की आर्थिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है।

    (5) प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों की आर्थिक विकास हेतु कोई कार्ययोजना नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    (1) प्रदेश में पंजीकृत सहकारी समितियों के आर्थिक विकास एवं उन्नति का कोई उल्लेख नहीं है।

    (2) किसानों को नगद एकमुश्त भुगतान हेतु हर पंचायत भवन में बैंकों के नगदी आहरण काउंटर स्थापित करने का उल्लेख नहीं है।

3. **श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    खुज्जी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम कुमरदा में जिला सहकारी बैंक स्थापना का उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    प्रदेश में नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

5. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

    छत्तीसगढ़ प्रदेश में सहकारिता के लिए राशि व्यय हेतु प्रावधानित है किन्तु इससे आम नागरिक को लाभ नहीं हो रहा है एवं खल्लारी विधान सभा के लिए राशि उल्लेखित नहीं है।

6. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–संबलपुर में नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) गुण्डरदेही विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम–सरेखा में नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) गुण्डरदेही विधान सभा अंतर्गत गोदाम सह कार्यालय भवन निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(4) नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने एवं उपकेन्द्रों को केन्द्र बनाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

7. **श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में नवीन धान खरीदी उपकेन्द्र व केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोदाम सह कार्यालय भवन निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

8. **श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) मस्तुरी विधानसभा के ग्राम पंचायत पचपेड़ी में नवीन उप पंजीयक कार्यालय खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत पचपेड़ी में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) किसानों को नगद एकमुश्त राशि भुगतान हेतु हर पंचायत भवन में बैंकों के नकदी आहरण काउंटर स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

9. **श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में अवैध धान खरीदी के नियंत्रण की कोई योजना नहीं है।

10. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक खोलने का उल्लेख नहीं है।

11. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कोई नई वित्त सहाकारी बैंक की स्थापना का उल्लेख नहीं है।

(2) कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों एवं खाद्य गोदामों के निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

12. श्री जनक ध्रुव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने एवं उपकेन्द्रों को केन्द्र बनाने का उल्लेख नहीं किया गया है।

13. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश के सहकारी शक्कर कारखानों को आर्थिक सहायता का उल्लेख नहीं है।

14. श्री ओंकार साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत गोदाम सह कार्यालय भवन निर्माण हेतु कोई उल्लेख नहीं है।

(2) विधानसभा क्षेत्र में नवीन धान खरीदी उपकेन्द्र व केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) विधानसभा धमतरी क्षेत्र अंतर्गत नवीन सहकारी मर्यादित बैंक खोलने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

15. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

अकलतरा विधानसभा क्षेत्र में नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने का कोई प्रावधान नहीं है।

16. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है।

(2) ग्राम–घुमका (नगर पंचायत) में जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की नवीन शाखा खोलने का उल्लेख नहीं किया गया है।

17. श्री बालेश्वर साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

जैजैपुर विधानसभा के ग्राम मल्दा एवं भोथिया में नवीन जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक की शाखा खोलने का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 23

जल संसाधन

मतदेय राशि रूपये 16,93,96,85,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –31

1. **डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) खेतों में सिंचाई हेतु नाली निर्माण की योजनाओं का कोई प्रावधान नहीं है।

   (2) प्रदेश में सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि एवं सिंचाई क्षमता के विकास हेतु कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (3) प्रदेश में प्रचलित सिंचाई कर के युक्तियुक्तकरण की कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

   (4) प्रदेश के उद्योगों पर लंबित जल कर वसूली की कोई कार्ययोजना का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) जल संरक्षण हेतु विशेष कार्ययोजना का कोई प्रावधान नहीं है।

   (2) किसानों को सिंचाई सुविधा देने हेतु सिंचाई परियोजना कोडार–रूद्री बांध इंटरलिंकिंग परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   विधानसभा क्षेत्र बस्तर अंतर्गत भोठा एनीकट (जीर्णशीर्ण अवस्था) को बैराज के रूप में परिवर्तित करने का उल्लेख नहीं है।

4. **श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   ग्राम व पंचायत सिहावा, जिला धमतरी के महानदी उद्गम स्थल गणेश घाट में एनीकट स्टापडेम की निर्माण लागत 180.00 लाख का उल्लेख नहीं है।

5. **श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश में जल संसाधन के विस्तार हेतु कोई ठोस योजना नहीं है।

6. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) तांदुला मुख्य नहर से पाउवारा उद्वहन सिंचाई योजना निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) गुण्डरदेही विधानसभा अंतर्गत सिकोसा स्थित फर्शी खदान से उद्वहन सिंचाई योजना का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(3) भाठागांव उद्वहन सिंचाई योजना के जरवाय माईनर वितरण नहर का निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

(4) बालोद जिले के अंतर्गत गुण्डरदेही विकासखण्ड के ग्राम माहुद (अ) जलाशय के जीर्णोद्धार लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं किया गया है।

(5) गुण्डरदेही विधानसभा क्षेत्र में नवीन बांध निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

7. श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में एवं स्त्रोत विहिन क्षेत्रों में नल–जल व्यवस्था का उल्लेख नहीं है।

(2) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत भू–जल स्तर को बनाए रखने के लिये तालाबों का गहरीकरण एवं रख–रखाव का उल्लेख नहीं है।

(3) पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोसीर में स्टापडेम सह कलविट निर्माण का उल्लेख नहीं है।

8. श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) शिवनाथ नदी पर केसला एनीकट जीर्णोद्धार कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में नवीन जल परियोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

9. श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

किसानों के जलकर को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं है।

10. श्री भोलाराम साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

खुज्जी विधानसभा क्षेत्र में नवीन बांध निर्माण का उल्लेख नहीं किया गया है।

11. श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के उद्योगों में लंबित जलकर वसूली की किसी भी योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) नई सिंचाई योजनाओं का उल्लेख नहीं है।

12. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत ग्राम पंचायत हरदी (गोबरी) के शिवनाथ नदी में सूक्ष्म सौर सिंचाई योजना का कोई प्रावधान नहीं है।

(2) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत डीपाडीह टांगर से धुर्वाकारी नहर मार्ग निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 45

लघु सिंचाई निर्माण कार्य

मतदेय राशि रूपये 8,74,51,95,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –31

1. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   कसडोल विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत नवीन जलाशयों एवं नहर सुदृढ़ीकरण करने का उल्लेख नहीं है।

2. **श्री इन्द्र साव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) करहुल नहर लाईनिंग कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) लिमतरा नहर लाईनिंग कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) कामता जलाशय का जीर्णोद्धार एवं नगर लाईनिंग कार्य का उल्लेख नहीं है।

   (4) चंदियापथरा नहर लाईनिंग कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

   (5) शिवनाथ नदी पर खैरघट तटबंध निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

   (6) शिवनाथ नदी पर तुलसी तटबंद निर्माण कार्य का उल्लेख नहीं है।

   (7) शिवनाथ नदी पर मांढर तटबंध निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

   (8) शिवनाथ नदी पर मर्राकोना तटबंध निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

   (9) शिवनाथ नदी पर चक्रवाय तटबंध निर्माण कार्य का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 47

कौशल विकास

मतदेय राशि रूपये 4,74,08,04,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –42

1. **डॉ चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश में कौशल विकास को राज्य के संसाधन से ही बढ़ावा देने की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में कौशल विकास के नाम पर एन.जी.ओ. द्वारा शासकीय राशि की लागू की जा रही है। इसे रोके जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

2. **श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   प्रदेश के हर संभाग में सी.आई.एम.एस. और हर लोकसभा क्षेत्र में सी.आई.टी. स्थापित करने का कोई उल्लेख नहीं है।

3. **श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   (1) प्रदेश के हर संभाग में व्ही.आई.एम.एम. एवं आई.आई.टी. की तर्ज पर सी.आई.टी. का उल्लेख नहीं है।

   (2) प्रदेश में युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान कर समस्त प्रशिक्षण प्रदायकर्ताओं को शत–प्रतिशत नौकरी व रोजगार उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (3) नवीन आई.टी.आई. खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

   (4) प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में रिक्त प्रशिक्षकों की भर्ती किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. **श्री कुंवर सिंह निषाद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में रिक्त प्रशिक्षकों की भर्ती किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

5. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

   पमगढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत संचालित आई.टी.आई. केन्द्रों में सभी ट्रेंडों में प्रशिक्षण हेतु ट्रेड के रिक्त पदों में भर्ती का कोई उल्लेख नहीं है।

6. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में युवाओं को रोजगार एवं प्रशिक्षण हेतु बजट में का कोई उल्लेख नहीं है।

7. **श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने के लिए कोई ठोस कार्ययोजना का कोई उल्लेख नहीं है।

मांग संख्या– 57

जल संसाधन विभाग से संबंधित विदेशों से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि रूपये 57,00,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –31

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या– 75

जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं

मतदेय राशि रूपये 3,08,71,00,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –31

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या– 28

राज्य विधान मंडल

मतदेय राशि रूपये 1,06,82,75,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक –47

कोई भी कटौती प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए।

मांग संख्या–39

खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग से संबंधित व्यय

मतदेय राशि रूपये 45,43,67,46,000

बजट अनुमान पुस्तक क्रमांक – 29

1. डॉ चरण दास महंत, नेता प्रतिपक्ष : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) धान उपार्जन करने वाली सहकारी संस्थाओं में कार्यरत डाटा एंन्ट्री ऑपरेटर्स को माह–अप्रैल 2025 से विपणन संघ द्वारा आउटसोर्सिंग से नियोजित करने के विषय में लिया गया है। वह विधि विरूद्ध है इस पर चर्चा का उल्लेख नहीं है।

(2) 2023–24 में उपार्जित धान में से लगभग 71000 मी. टन धान लागत राशि रू. 256 करोड़ का नष्ट हो चुके हैं, क्योकिं समय पर उठाव और मिलिंग नहीं कराया गया। इसके लिए जिम्मेदारी तय करने पर चर्चा का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन में कृषि विभाग द्वारा अधिसूचित मंडी लेबर चार्ज के अनुसार राशि का प्रदाय विपणन संघ द्वारा प्राय कृषि साख सहकारी संस्थाओं को किया जाना चाहिए, परंतु नहीं किया जाना है इस पर चर्चा का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) राज्य से समस्त बी.पी.एल. परिवारों तथा समस्त अन्त्योदय परिवारों के लिए पर्याप्त मात्रा में निःशुल्क चावल केन्द्रीय मूल से नहीं दिया जाता है जिसके कारण राजकोष पर हजारों करोड़ रूपये का अनावश्यक आर्थिक भार पड़ता है।

(5) 2024–25 में उपार्जित धान में से लाखों टन धान का विक्रय करने का निर्णय लिया गया है, किंतु बजट में इसका उल्लेख तक नहीं हैं, इसमें होने वाली हजारों करोड़ रूपयों की हानि का भी उल्लेख नहीं है, विधानसभा से तथ्यों को छिपाया गया है। इस पर चर्चा का उल्लेख नहीं है।

(6) विकेन्द्रीकृत धान उपार्जन योजना के अंतर्गत राज्य की आवश्यकता से अधिक चावल की पूर्ण मात्रा को केन्द्रीय मूल्य में लिये जाने की बाध्यता का पालन 2024–25 के केन्द्र सरकार नहीं कर रही है, इस पर चर्चा का उल्लेख नहीं है।

2. श्री भूपेश बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों को समय–सीमा में किये जाने हेतु कोई बजट का उल्लेख नहीं है।

3. श्रीमती अनिला भेंडिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में गुड़, चना देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में गरीब परिवारों को 500 रू. में गैस सिलेण्डर प्रदाय करने का कोई उल्लेख नहीं है।

4. श्री लखेश्वर बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मुख्यमंत्री खाद्यान्न वितरण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में भण्डारण की व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) खाद्य पदार्थों में मिलावट गुणवत्ताहीन को रोकने/जांच कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश में खाद्य पदार्थों की मंहगाई पर रोक लगाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) धान से एथेनॉल बनाने पर प्रति लीटर आने वाले खर्च का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) धान खरीदी में व्याप्त अव्यवस्था को सुधारने का कोई प्रावधान नहीं है।

(6) नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) नवीन उपयोगी वस्तुएं जैसे–खाद्यान्न सामग्री गैस सिलेण्डर , पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(8) प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के ठोस उपायों का कोई उल्लेख नहीं है।

(9) धान के उठाव एवं कस्टम मिलिंग संबंधी कार्यों को समय–सीमा में किये जाने हेतु कोई बजट का उल्लेख नहीं है।

(10) खाद्यान्न वितरण की प्रभावी व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

(11) गरीब महिलाओं को 500 रूपये में गैस सिलेण्डर प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

5. श्रीमती सावित्री मनोज मंडावी, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

500 रूपये में गैस सिलेण्डर उपलब्ध कराने का बजट में कोई उल्लेख नहीं है।

6. श्री दिलीप लहरिया, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम–पंचायत ओखर में फूड पार्क की स्थापना का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) मस्तुरी विधानसभा के अंतर्गत ग्राम–पंचायत धनगंवा में धान खरीदी केन्द्र की स्थापना करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(3) प्रदेश के गरीब महिलाओं को 500 रूपये में गैस सिलेण्डर प्रदान करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) मस्तुरी विधानसभा अंतर्गत नवीन धान खरीदी केन्द्र खोलने का कोई उल्लेख नहीं है।

7. श्री रामकुमार यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों से नियमित रूप से चना प्रदाय व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है।

8. **श्री द्वारिकाधीश यादव, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

खल्लारी विधानसभा के व्यय राशि का उल्लेख नहीं है।

9. **श्रीमती शेषराज हरवंश, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) छत्तीसगढ़ प्रदेश में खाद्य पदार्थों में बढ़ती मंहगाई पर रोक लगाने हेतु कोई कारगार योजना का उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में संचालित सरकारी उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न भण्डारण हेतु गोडाउन बनाने का कोई उल्लेख नहीं है।

10. **श्री संदीप साहू, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश के गरीब महिलाओं को 500/—रूपये में गैस सिलेण्डर प्रदाय किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भण्डारण हेतु ग्रामों में नवीन गोदाम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) जिला—बलौदाबाजार —भाटापारा में खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (जिला स्तरीय प्रयोगशाला) की स्थापना करने का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के हितग्राहियों को कम कीमत पर खाद्यान्न तेल एवं अन्य खाद्य पदार्थो को न्यूनतम कीमत में उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) प्रदेश में सोशल मिडिया में विज्ञापित भ्रामक विज्ञापनों के रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) उपभोक्ताओं को समय पर न्याय दिलाने हेतु उपभोक्ता न्यायलय के विस्तार करने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

(7) प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भण्डारण हेतु ग्रामों में नवीन गोदाम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

11. **श्रीमती चातुरी नंद, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

(1) प्रदेश में सोशल मिडिया में विज्ञापित भ्रामक विज्ञापनों के रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) धान खरीदी की प्रति क्विंटल राशि को किसानों को एकमुश्त देने का कोई उल्लेख नहीं है।

12. **श्री ब्यास कश्यप, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

प्रदेश के नागरिकों को मंहगाई से राहत दिलाने का कोई उल्लेख नहीं है।

13. **श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.**

खाद्य पदार्थो के दाम कम करने का कोई उल्लेख नहीं है।

14. श्रीमती हर्षिता स्वामी बघेल, सदस्य : एक रूपये की कमी की जावे.

(1) प्रदेश के हितग्राहियों को कम कीमत पर खाद्यान्न तेल एवं अन्य खाद्य पदार्थो को न्यूनतम कीमत में उपलब्ध कराने का कोई उल्लेख नहीं है।

(2) प्रदेश में सोशल मिडिया पर आ रहे भ्रामक विज्ञापनों के रोकथाम का कोई उल्लेख नहीं है।

(3) प्रदेश के सार्वजनिक वितरण प्रणाली के खाद्यान्न भण्डारण हेतु ग्रामों में नवीन गोदाम निर्माण का कोई उल्लेख नहीं है।

(4) प्रदेश के गरीब महिलाओं को 500/—रूपये में गैस सिलेण्डर प्रदाय किये जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

(5) धान खरीदी की प्रति क्विंटल राशि को किसानों को एकमुश्त देने का कोई उल्लेख नहीं है।

(6) खाद्यान्न पदार्थो में लगातार हो रही मंहगाई वृद्धि दर को रोकने का कोई उल्लेख नहीं है।

(7) उपभोक्ताओं को समय पर न्याय दिलाने हेतु उपभोक्ता न्याय फोरम खोलने के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।